उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

वि0 सं0–2136 / स्था0भ0तक0 / 2021–22 दिनांकः 10 / 03 / 2022

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में न्यायनिर्णायक अधिकारी के 01 पद मुख्यालय, लखनऊ एवं 01 पद क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर हेतु निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–71 में निहित प्राविधान के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारी जो जिला जज या जिला जज रह चुके है, में से संविदा के माध्यम से भरने हेतु पात्र अभ्यर्थी से दिनांक 15.03.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 रेरा के वेब–पोर्टल www.up-rera.in के माध्यम से आमन्त्रित किया जाता है।

विस्तृत विज्ञापन एवं पद की अर्हता शर्तें सम्बन्धी विस्तृत विवरण रेरा की वेब–पोर्टल www.up-rera.in पर उपलब्ध रहेगा।

सचिव,

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

वि0 सं0–2136/स्था0भ0तक0/2021–22 दिनांकः 10/03/2022 का संलग्नक

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में न्यायनिर्णायक अधिकारी के 01 पद मुख्यालय, लखनऊ एवं 01 पद क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर हेतु निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संविदा के माध्यम से भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के अलग–अलग आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आमन्त्रित किये जाते हैं।

न्याय निर्णायक अधिकारी के पद पर नियमित चयन तथा नियुक्ति हेतु शर्तों का विवरण निम्नवत हैः–

(i) भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–71 में निहित प्राविधान के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारी जो जिला जज हैं या जिला जज रह चुके हैं, न्याय निर्णायक अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

(ii) न्याय निर्णायक अधिकारी का एक पद उ.प्र. रेरा के लखनऊ मुख्यालय में तथा एक पद उ.प्र. रेरा क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर में होगा।

(iii) न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति संविदा के आधार पर तीन वर्ष के लिए की जाएगी तथा सम्बन्धित अधिकारी का आचरण तथा सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की होने की दशा में अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत रहते हुए प्राधिकरण द्वारा अधिकतम दो वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया जा सकेगा।

(iv) एडज्यूडिकेटिंग आफिसर के पद पर नियुक्त न्यायिक अधिकारियों में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुर्ननियोजन से सम्बंधित शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(v) नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्य तथा आचरण के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टतया गम्भीर शिकायत प्राप्त होने या प्राधिकरण के संज्ञान में कोई प्रतिकूल तथ्य आने पर प्राधिकरण द्वारा गठित मा0 सदस्यगण की दो सदस्यीय जांच दल से जांच करायी जाएगी और जांच में शिकायत या प्रतिकूल तथ्यों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित न्याय निर्णायक अधिकारी को शो काज नोटिस जारी करके उनके स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा और उनके स्पष्टीकरण सहित समस्त साक्ष्यों पर सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा नोटिस डिस्चार्ज कर दी जाएगी या उनकी सेवाएं तत्कालिक प्रभाव से, जैसा भी मामला हो, समाप्त की जा सकेगी।

(vi) उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में रिक्त न्याय निर्णायक अधिकारी के 02 पदों में से 01 पद लखनऊ, मुख्यालय हेतु एवं 01 पद क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा हेतु है। न्यायिक अधिकारी के चयन हेतु लखनऊ मुख्यालय तथा

गौतमबुद्धनगर क्षेत्रीय कार्यालय हेतु अलग–अलग अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु आवेदन करने की अंतिम तिथि पर 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) न्याय निर्णायक अधिकारी के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु प्राधिकरण के एक मा0 सदस्य की अध्यक्षता में संवीक्षा समिति गठित की जाएगी जिसमें सचिव, वित्त नियंत्रक तथा विधि परामर्शदाता सदस्य होंगे।

(viii) संवीक्षा समिति द्वारा सूचीबद्ध अर्ह अभ्यर्थियों में से प्राधिकरण द्वारा शासन के परामर्श हेतु प्रत्येक पद के सापेक्ष तीन उपयुक्त अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा और शासन से परामर्श प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम तथा शर्तों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी को न्याय निर्णायक अधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर तीन वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(ix) अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा उ0प्र0 रेरा के वेब–पोर्टल **www.up-rera.in** पर दिनांक 15.03.2022 से दिनांक 31.03.2022 के अन्तराल में निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा हेतु अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप उक्त वेब–पोर्टल पर उपलब्ध है।

सचिव,